

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-119/2018/ 3619 /दो-2-2018-28/2(37)/2018
लखनउ: दिनांक: 11अक्टूबर, 2018

श्री ओमपाल सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-07-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(संजय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- श्री ओमपाल सिंह, से0नि0, पी0सी0एस0, द्वारा श्री आर0डी0हरनोतिया, ए/1552/7, ए/51, ए-51 बी, मोतीराम की गली, ए-वन कालोनी, नवीननगर, जनपद-सहारनपुर 247001 को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-119/2018/3346 /दो-2-2018-28/2(13)/2018
लखनऊ: दिनांक: 11अक्टूबर, 2018
आदेश

श्री ओमपाल सिंह, पी0सी0एस0,से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-72794 में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री ओमपाल सिंह, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मिलान-डायरी-182/42343/55537 ,दिनांक 05-09-2018 के अनुसार वर्ष-2017-2018 तक कुल जमा धनराशि रू0-25,26,612.00 (रू0-पच्चीस लाख छत्तीस हजार छः सौ बारह मात्र) जिसमें माह 3/18 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-22,82,950.80 अर्थात रू0-22,82,951.00 (रूपये बाइस लाख बयासी हजार नौ सौ इक्यावन मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री ओमपाल सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(संजय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री ओमपाल सिंह, से0नि0, पी0सी0एस0, तत्का0 अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बागपत के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन ।
- 4- श्री ओमपाल सिंह,से0नि0,पी0सी0एस0, द्वारा श्री आर0डी0हरनोतिया,-ए/1552/ 7,ए /51,ए-51 बी,मोतीराम की गली,ए-वन कालोनी, नवीननगर, जनपद-सहारनपुर247001 को सूचनार्थ प्रेषित

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।